PROSPECTUS

Govt. Arts & Commerce Girls College, Devendra Nagar Raipur, (C.G.)

Website: http://govtgirlscollegedevendranagar.ac.in

E-Mail: artcommerce.college@gmail.com

Phone: 0771-4055494

स्थापना: 1982

ज्ञानं परमं ध्येयम् – ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का परम उद्देश्य है।

VISION

- Inculcating self-confidence, self-reliance, communication skills and self-esteem among girls.
- To identify gifted and talented youth and nurture them to develop their full potential by cultivating precise attitude and skill-sets.
- Imparting wisdom, knowledge and humanism amongst the students.
- To provide flexible, accessible and affordable educational program through analytical and research-based learning structure.
- To develop a student-centric culture augmenting critical thinking, information competency and communication skills; while focusing on vocational education and employability.
- To harness and sustain young talents and encourage them to take corporate, entrepreneurial and creative initiatives.

MISSION

- The college aims to provide quality higher education to Girls, especially to those who are economically weaker.
- The college aims for the Empowerment of women through academic excellence.
- College seeks at becoming an efficient and excellent institution in providing a platform for cultural, educational and research activities.
- College provides for the intellectual, emotional and brain storming creativities of the students to make them confident and effective decision makers.
- The college aims for providing overall attributes and entities necessary for the students to excel in their life.

संस्था के लक्ष्य

- महाविद्यालय के स्वप्न एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।
- उत्तम शिक्षा के द्वारा छात्राओं को उन्नत करना।
- क्षेत्र की निर्धन, जरूरतमंद, सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं की मदद करना।
- शिक्षित, नीतिवान, सुसंस्कृत एवं आध्यात्मिक नागरिक के रूप में छात्राओं के व्यक्तित्व का निर्माण करना।
- शैक्षिक सुविधा विहिन छात्राओं को उन्नत करना।
- छात्राओं को परामर्श , पुनष्चर्या कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसरों एवं स्वरोजगार के द्वारा उचित और स्थायी आय अर्जन के द्वारा सुविधायुक्त जीवन जीने के प्रस्तवों की जानकारी उपलब्ध करवाकर जागरूक करना।
- सामान्य ग्रामीण छात्राओं के न्यूनतम व्यय पर गुणवत्ता मूलक शिक्षा की उपलब्धता के माध्यम से वैष्विक चुनौतियों हेतु सशक्त करना।
- विद्यार्थियों में अनुशासन को अनर्निविष्ट करने हेतु नैतिक परामर्ष की कक्षाऐं तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- छात्राओं को अकादमिक उत्कृष्टता उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रत्येक छात्रा के एकल प्रदर्शन की पहचान एवं देखभाल करना।
- विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभा के विकास हेतु उन्हे परिसंवाद, सम्मेलनों में सहभागिता एवं भ्रमण हेतु प्रेरित करना।

संचालित पाठ्यक्रम

स्नातक –

कला संकाय

बी.ए. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम (Compulsory Foundation Course)

(I) हिन्दी भाषा

(II) अंग्रेजी भाषा

(III) पर्यावरण अध्ययन (केवल प्रथम वर्ष)

वैकल्पिक विषय –निम्न पाँच समूहों में से किन्ही तीन समूहों के एक–एक विषय ही छात्राओं को लेने की पात्रता होगी–

(I) **सामाजशास्त्र** (Sociology)

(II) गृहविज्ञान (Home Science)

(III) हिन्दी साहित्य/अंग्रेजी साहित्य (Hindi Literature/English Literature)

(IV) **अर्थशास्त्र**/भाषाविज्ञान (Economics/Linguistics)

(V) मनोविज्ञान (Psychology)

टीप – छात्राओं को विभिन्न विषयों में **प्रवेश**, स्थान की उपलब्धता एवं पिछली परीक्षा के प्राप्तांकों पर निर्भर होगा। प्राचार्य का निर्णय मान्य होगा।

संचालित पाठ्यक्रम

स्नातक –

वाणिज्य संकाय

बी.कॉम प्रथम : द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम (Compulsory Foundation Course)

(I) हिन्दी भाषा

(II) अंग्रेजी भाषा

(III) पर्यावरण अध्ययन (केवल प्रथम वर्ष)

सभी अनिवार्य विषय (All Compulsory Subject)–

ऐच्छिक (विशिष्ट) विषयों में निम्न समूहों में अध्यापन सुविधा है

समूह- **मार्केटिंग (Marketing)**

छात्राओं को विभिन्न विषयों में **प्रवेश**, स्थान की उपलब्धता एवं पिछली परीक्षा के प्राप्तांकों पर निर्भर होगा। प्राचार्य का निर्णय मान्य होगा।

संचालित पाठ्यक्रम

स्नातक –

विज्ञान संकाय

बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

- **अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम (Compulsory Foundation Course)**
  हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषाए पर्यावरण अध्ययन केवल प्रथम वर्ष
- **वैकल्पिक समूह**

समूह अ–
- रसायन शास्त्र
- प्राणी शास्त्र
- वनस्पति शास्त्र

समूह ब–
- गणित
- भौतिक शास्त्र
- रसायन शास्त्र

समूह स–
- गणित
- भौतिक शास्त्र
- कम्प्यूटर साइंस

गृहविज्ञान संकाय

बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम

(I) हिन्दी भाषा
(II) अंग्रेजी भाषा
(III) पर्यावरण अध्ययन (केवल प्रथम वर्ष)

सभी विषय अनिवार्य

टीप – बी.एस.सी. (गृहविज्ञान में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के समस्त समूहों विज्ञान, गृहविज्ञान, कला, वाणिज्य आदि) की परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को **प्रवेश** दिया जा सकता है।

संचालित पाठ्यक्रम

स्नातकोत्तर संकाय (सेमेस्टर पद्धति)

कला–

हिन्दी साहित्य

समाज विज्ञान

मनोविज्ञान (Psychology)

सामाजशास्त्र (Sociology)

अर्थशास्त्र (Psychology)

वाणिज्य (Commerce)

गृहविज्ञान संसाधन प्रबंधन (Resource Management)

शोध केन्द्र

हिन्दी

गृहविज्ञान

विशेष –

- छात्राएँ अपनी उपाधि के लिए जो विषय लेना चाहती हैं, उसका चयन सावधानी से करें। विषय परिवर्तन प्राचार्य की अनुमति के बिना नहीं होगा तथा निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- **प्रवेश** संबंधी किसी प्रकार की सूचना घर नहीं भेजी जायेगी। प्रवेश सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी।
- **प्रवेश** संबंधी प्राचार्य के निर्णय अन्तिम एवं मान्य होंगे।

अर्हता

अर्हता संबंधी नियम पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होंगे

•छत्तीसगढ़ बोर्ड अथवा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालयसे आने वाली छात्राओं को प्रवजन प्रमाण–पत्र तथा विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र जमा करना होगा।

•महाविद्यालय से छात्रा को दिया गया प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा मान्य होते तक अस्थाई रहेगा। अर्हता के संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

•प्रथम वर्ष की नियमित छात्राओं, अमहाविद्यालयीन छात्राओं एवं अन्य विश्वविद्यालय की छात्राओं को नामांकन फार्म भरना अनिवार्य होगा।

प्रवेश आवेदन–पत्र

•प्रवेश आवेदन–पत्र निर्धारित फार्म में ही लिए जायेंगे। आवेदन–पत्र निर्धारित राशि कार्यालय में जमाकर रसीद प्राप्त किया जा सकता है। यह राशि किसी भी कारण वापस नहीं की जावेगी।

•आवेदन–पत्र छात्रा द्वारा ही भरा जाना चाहिये तथा माता–पिता, पिता या पालक द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।

विशेष – निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों का आवेदन–पत्र के साथ होना आव'यक है:–

•छात्रा की पिछली संस्था का मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र।

•पिछली परीक्षा की अंक सूची की सत्यापित छायाप्रति ।

•प्रवजन प्रमाण–पत्र (केवल उन छात्राओं के लिए जो छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल या पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से संबद्धता प्राप्त किसी भी संस्था की छात्रा न रही हो) ।

•पिछली संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण–पत्र ।

•जो छात्रा स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में पिछली परीक्षा में सम्मिलित हुई हो, उसे किन्ही दो सन्मानित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण–पत्र देना होगा ।

•यदि छात्रा किसी वर्ष परीक्षा में नहीं बैठी हो तो ऐसे गत वर्ष/वर्षों का परीक्षा संबंधी पूरी जानकारी न्यायालय के शपथ–पत्र में प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ देनी होगी।

•अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को विभिन्न सुविधाओं तथा छात्रवृत्तियों के लिए निम्न तीन प्रमाण–पत्र लगाने होंगे–

(I) जाति प्रमाण–पत्र, (II) आय प्रमाण–पत्र, (III) निवास प्रमाण–पत्र

ये प्रमाण–पत्र तहसीलदार अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जाए।

•नौकरी करने वाली छात्राओं के लिए नियोक्ता का स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

•विदेशी छात्राओं तथा ऐसी छात्राओं को जो टूरिस्ट वीसा लेकर भारत आयी हैं, उन्हे अपने प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ अपर सचिव, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय, भारत शासन के पत्र में निर्देशित आवश्यक योग्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसी छात्राओं को अपने आवेदन–पत्र भारत के अथवा विदेशों में भारतीय दूतावास के माध्यम से प्रस्तुत करने होगे, साथ ही सिविल सर्जन द्वारा दिया गया आरोग्य प्रमाण–पत्र भी देना होगा।

•शासकीय आदेशानुसार यदि किसी छात्रा ने किसी कक्षा में पिछले सत्र में प्रवेश लिया हो तथा किन्ही कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाई हो अथवा अध्ययन बीच में बंद कर दिया हो अथवा परीक्षा में फेल हो गई हो, तो ऐसी छात्राओं को उसी कक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

नियम

पुस्तकालय तथा वाचनालय

पुस्तकालय तथा वाचनालय पूरे कार्यालयीन समय में छात्राओं के लिए खुला रहेगा। यदि छात्राएँ इस सुविधा का दुरूपयोग करती हैं, तो उन्हे इस सुविधा से वंचित किया जा सकता है। दी गई नई पुस्तकें यदि फटी अथवा कोई पृष्ठ फटा हुआ पाया गया तो छात्राओं को क्षति पूर्ति करनी होगी। पुस्तक लेते समय छात्रा यह **निश्चित** कर ले कि पुस्तक का कोई पृष्ठ खोया हुआ तो नहीं है। यदि छात्रा ऐसा पाये तो तुरंत ग्रंथपाल का ध्यान इस ओर आर्कषित करे, ताकि दूसरी पुस्तक प्रदान की जा सके। निर्धारित समय के भीतर पुस्तकें वापस न करने की **दशा** में अर्थदण्ड देना होगा। **प्रश्न**–पत्र, समाचार–पत्र, व पत्रिकाओं का उपयोग छात्राएँ केवल वाचनालय में बैठकर ही कर सकती है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई **कार्यशील** है। इच्छुक छात्राएँ रा.से.यो. प्रभारी से सम्पर्क कर अपना नाम पंजीकृत करा सकती है।

खेलकूद

महाविद्यालय में विभिन्न खेलों की समुचित व्यवस्था है। छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इनमें रूचि एवं भाग लें। महाविद्यालय में प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पूर्व विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है तथा विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र दिए जाते हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

छात्राओं की कलात्मक प्रतिभा को उभारने के लिए प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजयी छात्राओं को पुरस्कार तथा प्रमाण–पत्र दिए जाते हैं।

छात्र संघ

महाविद्यालय में प्रतिवर्ष शासन/विष्वविद्यालय के **निर्देशानुसार** छात्राओं की कलात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने हेतु छात्रासंघ का गठन किया जाता है। संघ की समस्त गतिविधियों में समस्त छात्राओं का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है।

आचरण संहिता

जिन छात्राओं का आचरण असंतोषजनक रहा हो अथवा जिनके **प्रवेश** से महाविद्यालय में **अशांति** की **आशंका** है, ऐसी छात्राओं को **प्रवेश** नहीं दिया जावेगा।

प्रत्येक छात्रा अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय की व्यवस्था के अर्न्तगत निर्धारित अध्ययन पर लगाए, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा अनुमोदित पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में भी पूरा–पूरा सहयोग दें।

महाविद्यालय की सम्पति, भवन, पुस्तकालय, **प्रयोगशाला** आदि की शांति, सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं स्वच्छता में प्रत्येक छात्रा रूचि लेगी और शांति रखने में और सुधारने में सहयोग देगी। इसके विपरीत किसी भी प्रवृत्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो भाग लेगी और न दूसरों को उकसायेगी।

प्रत्येक छात्रा महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में पूरी तरह सहयोग देगी और भाग लेगी और बिना प्राचार्य की अनुमति के कक्षा से अथवा परीक्षा में अनुपस्थित नहीं रहेगी। महाविद्यालय में लगातार अनुपस्थित रहने वाली अथवा महाविद्यालय की परीक्षा में नहीं बैठने वाली छात्राओं को **विश्वविद्यालय** की परीक्षा में **प्रवेश** देने से महाविद्यालय द्वारा रोका जा सकता है।

प्रत्येक छात्रा अपने व्यवहार में सहपाठियों और **शिक्षकों** से नम्रता का व्यवहार करेगी और कभी अष्लील, **अशिष्ट** या **अशोभनीय** व्यवहार नहीं करेगी।

महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन सर्वथा वर्जित है।

छात्राओं को यदि कोई कठिनाई हो तो गुरूजन अथवा प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली से और शांतिपूर्वक ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।

आन्दोलन, हिंसा अथवा आतंक द्वारा किसी भी कठिनाई को हल करने का मार्ग छात्रा नहीं अपनायेगी।

छात्रा सक्रिय दलगत राजनीति में भाग नहीं लेगी और अपनी समस्याओं के विषय में राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार–पत्रों आदि के माध्यम से हस्तक्षेप या सहायता नहीं मांगेगी।

परीक्षाओं में या उसके संबंध में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति बढ़े और उसमें किसी प्रकार का कलंक न लगे, ऐसा व्यवहार छात्राओं के द्वारा **अनुशासन** और संयम में रहकर करना चाहिए।

आचरण के इन साधारण नियमों के भंग होने पर छात्रा को चाहिए कि दोषी व्यक्ति को उचित दण्ड देने में सहयोग दे, जिससे महाविद्यालय का प्राथमिक कार्य अध्ययन–अध्यापन शांति व मनोयोग के साथ चल सके।

छात्राओं को यह सावधानी रखनी होगी कि किसी नैतिकता मूलक या अन्य गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे, परन्तु ऐसा हुआ तो उनका नाम तत्काल महाविद्यालय की नियमित छात्राओं में से हटा दिया जायेगा और वे महाविद्यालय में किसी छात्रा प्रतिनिधि पद पर भी न बनी रह सकेगी।

रैगिंग लेना दंडनीय अपराध है, जो भी छात्रा रैगिंग लेते अथवा उसमें सहयोग करती पायी जाती है तो उसके विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के **आदेशानुसार अनुशासनात्मक** कार्यवाही की जायेगी।

उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए नये **अध्यादेश** क्रमांक 6 के अनुसार महाविद्यालय की नियमित छात्राओं को **विश्वविद्यालय** परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए 75 **प्रतिशत** उपस्थिति **आवश्यक** है। जिन छात्राओं ने प्रायोगिक विषय लिए हैं उनकी 75 **प्रतिशत** उपस्थिति प्रायोगिक कक्षाओं में भी अनिवार्य है। इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जाएगा।

विश्वविद्यालय अधिनियम में अध्यादेष क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय में अथवा बाहर **अनुशासन** भंग किये जाने या दुराचरण किये जाने पर ऐसी छात्रा के विरूद्ध **अनुशासनात्मक** कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है। **अनुशासन** हीनता के लिए उक्त **अध्यादेश** में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान है:–

निलम्बन

निष्कासन

विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

रजिस्ट्रेशन

विशेष

स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में पूरे सत्र के बीच संबंधित विषयों (**प्रश्न**–पत्रों) की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएँ **विश्वविद्यालय** के नियमानुसार होंगी, जिसमें समस्त नियमित छात्राओं का भाग लेना अनिवार्य होगा अन्यथा **विश्वविद्यालय** के **निर्देशानुसार अनुशासनात्मक** कार्यवाही की जायेगी।

महाविद्यालय समय : प्रात: 10:30 से सायं 05:30 बजे

महाविद्यालय की समस्त छात्राओं को शैक्षणिक/व्यवसायिक/व्यक्तिगत **निर्देशन** तथा **मार्गदर्शन** देने हेतु एक **विशेष निर्देशन** एवं **परामर्श** सेल का गठन किया गया है।